

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 2(2)खा.वि./स्था.प्र./2020

जयपुर, दिनांक 22.07.2022

आदेश

नियंत्रक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 22.07.2022 के द्वारा श्री मनीष भटनागर, सहायक नियंत्रक, मानक प्रयोगशाला, अजमेर को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए कार्यमुक्त किए जाने के फलस्वरूप निर्देशानुसार श्री भटनागर का पदस्थापन जिला रसद कार्यालय, उदयपुर में प्रवर्तन अधिकारी के रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

श्री भटनागर को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपनी उपस्थिति जिला रसद कार्यालय, उदयपुर में दिया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

क. 22.7.22
(कालूराम)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य), जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
- 4 जिला कलक्टर, उदयपुर।
- 5 जिला रसद अधिकारी, उदयपुर।
- 6 उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
- 7 सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
- 8 श्री मनीष भटनागर, प्रवर्तन अधिकारी को पालनार्थ प्रेषित है।
- 9 रक्षा पत्रिका।

क. -
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त